राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प.9(34)राज–6/2019/101 CPS cell.)/34 जयपुर दिनांकः– 11/06/2020

1.समस्त, सम्भागीय आयुक्त
2.समस्त, जिला कलक्टर,राजस्थान।

परिपत्र

भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 ("1984 अधिनियम") एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 ("2013 अधिनियम") के तहत मंदिर माफी के नाम से दर्ज भूमियों के संबंध में कतिपय जिला कलक्टरर्स द्वारा मुआवजा किस के खाते में जमा कराया जाये अथवा किसको दिये जाये, इस बाबत मागदर्शन चाहा जाता रहा है।

2. राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार प्रयोजन से वर्ष 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 ("1952 अधिनियम") पारित किया गया, जो दिनांक 16.02.1952 से प्रभावशील है।

3. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार हैः–

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार का जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। "

4. इसी प्रकार उक्त 1952 अधिनियम की धारा 10 में खुदकाश्त भूमि पर खातेदार माने जाने का प्रावधान हैः–

"खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकारः– किसी जागीर भूमि के पुर्नग्रहण होने की तारीख से किसी जागीरदार की कोई खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गॉव की दर पर उसके संबंध में निर्धारण किया जावेगा।"

निरन्तर - 2

Scanned by CamScanner

5. उक्त 1952 अधिनियम की अनुसूची प्रथम में क्रम सं. 15 पर माफी भूमि को "जागीर श्रेणी" में माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि उक्त 1952 अधिनियम के लागू होने की दिनांक को तत्समय के राजस्व अभिलेख में यदि किसी खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, तो उसे ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

6. मन्दिर माफी भूमि की कई प्रकार की श्रेणियां संभव हैं। **प्रथम श्रेणी :** मन्दिर माफी की वह भूमि जिसके संबंध में 1952 अधिनियम के लागू होने के समय के राजस्व अभिलेख में यदि वह भूमि मन्दिर मूर्ति के खुदकाश्त के नाम दर्ज थी, तो ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार मन्दिर मुर्ति में निहित होते है। माननीय उच्च न्यायालय की वृहद् पीठ द्वारा तारा के प्रकरण (डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 185/2001 तारा व अन्य बनाम राज्य व इत्यादि) में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में सक्षम नही होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजन से शाश्वत अव्यस्क नही है। इस निर्णय मे माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मंदिर मूर्ति को शास्वत अव्यस्क मान भी लिया जावे तो भी भूमि मंदिर मूर्ति निरंतर धारित नही कर सकती है; मंदिर मूर्ति की भूमि शेवायत/पुजारी से भिन्न व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने की स्थिति में उस कृषक को 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते है। मंदिर के पुजारी/शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति "केयरटेकर मैनेजर" की होती है; उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है।

अत: ऐसे प्रथम श्रेणी के प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भूमि के संबंध में 1984 अधिनियम एवं 2013 अधिनियम के तहत पुजारी/ट्रस्ट "केयरटेकर मैनेजर" की हैसियत से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा निर्धारण प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(1)प्र.सु./अनु–3/2015 दिनांक 19.01.2015 (संलग्नक–1) के अनुसार संबंधित विभाग में जमा किया जाता रहेगा।

7. **द्वितीय श्रेणी :** जागीर पुर्नग्रहण होने पर 1952 अधिनियम लागू होने के समय के अभिलेख अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह

निरन्तर–3

Scanned by CamScanner

अन्तर्हित हो, कि उस काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है तो वह 1952 के अधिनियम की धारा 9 के अनुसार विधिक रूप से (valid) खातेदार काश्तकार है। यदि (i) अवाप्ति के समय के भू–अभिलेख और (ii) 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पात्र विधिक खातेदार में अन्तर है, तो ऐसी स्थिति मे 1952 अधिनियम की धारा 9 अभिभावी (prevail) होगी; एवं इस श्रेणी के प्रकरणों में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2017/पार्ट/101 जयपुर, दिनांक 18.09.2019 (संलग्नक–2), परिपत्र क्रमांक प03(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09. 2018(संलग्नक–3), परिपत्र क्रमांक प0 3(2)राज–6/2007 /19 जयपुर दिनांक 25.11.2011(संलग्नक–4) व परिपत्र क्रमांक प0 3(2)राज–6/2007/14 जयपुर, दिनांक 24.05.2007 (संलग्नक–5) के तहत रिकार्ड दुरूस्ती की जानी वांछित होगी एवं रिकार्ड दुरस्ती के पश्चात भूमि आवाप्ति अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी। लेकिन यदि 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पात्र खातेदार की बिना उत्तराधिकारी/वारिस/वैध अंतरिती की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1) (i) के अनुसार खातेदारी समाप्त होकर यह भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है।

8. जैसा कि संलग्नक–4 एवं संलग्नक–5 में स्पष्ट है कि,मंदिर माफी के कई प्रकरणों में 1952 अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के विपरीत भू–प्रवंध संक्रिया के दौरान खातेदारी का गलत इन्द्राज जागीर अधिनियम के विपरीत दर्ज किया गया है, या अनुचित रूप से रेफरेन्स दायर कर जागीर अधिनियम के विपरीत गलत रूप से खातेदारी का अंकन किया गया है या बाद में संस्था या ट्रस्ट का गठन कर इस प्रकार की संस्था के नाम खातेदारी अधिकारों का अंकन कर दिया गया है। इस तरह के प्रकरणों में ऐसे व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2017/पार्ट/101 जयपुर, दिनांक 18.09.2019 (संलग्नक–2) के अनुसार किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र नहीं है, एवं इस कारण से वे भूमि आवाप्ति अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी भी नही है।

निरन्तर - 4

Scanned by CamScanner

9. मंदिर माफी के प्रकरणों में उक्तानुसार भूमि आवाप्ति के समय भू अभिलेख की प्रास्थिति का राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने की दिनांक को तत्समय भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि से परीक्षण प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है; ऐसे सभी प्रकरणों में खातेदारी अधिकार निर्धारण हेतु 1952 अधिनियम के प्रावधान अभिभावी (prevail) करेंगें। बाद के भू अभिलेखों में दर्ज की गई गलत इन्द्राज, अनुचित रेफरेन्स, अवैध बेचान व गलत भू प्रबंध संक्रिया के कारण दर्ज व्यक्ति के आधार पर खातेदारी अधिकार/मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित नहीं होगा।

10. अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संलग्न परिपत्रों के अनुसार भूमि आवाप्ति अधिनियमों के तहत राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार परीक्षण कर पात्रता रखने वाले वैध खातेदार काश्तकार (valid Khatedar tenant) तय कर मुआवजा निर्धारण के प्रकरण निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(संदीप वर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त शासन अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिव गण/सचिवगण, राजस्थान सरकार।

प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner